रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275624
CG-DL-E-20082026-275624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2026/श्रावण 29, 1948
No. 681] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2026/SHRAVAN 29, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 747(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2023 का संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती तथा सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, मुख्य विधि अधिकारी, अपर मुख्य विधि अधिकारी और विधि अधिकारी भर्ती में तथा सेवा शर्तें नियम, 2023 की अनुसूची में, –

(क) मुख्य विधि अधिकारी/महानिरीक्षक, अपर मुख्य विधि अधिकारी/उप महानिरीक्षक, और विधि अधिकारी ग्रेड-I/कमांडेंट और विधि अधिकारी ग्रेड-II/उप कमांडेंट के पदों से संबंधित क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 के सामने, क्रमशः, स्तंभ (10) के शीर्षक में, "पद" शब्द के लिए, "रिक्तियां" शब्द रखा जाएगा;

(ख) विधि अधिकारी ग्रेड-I/कमांडेंट के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (10) में, प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

"प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : पुनर्नियोजन"।

(ग) विधि अधिकारी ग्रेड-II/ उप कमांडेंट के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, –

(i) स्तंभ (10) में, प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्: –

"प्रतिनियुक्ति या आमेलन या पुनर्नियोजन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"।

(ii) स्तंभ (11) में, "लागू नहीं" प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: –

"प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा:

(i) (क) सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत कोई भी ऐसा अधिकारी जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री हो;

(ख) सीमा सुरक्षा बल में सेवा समूह 'क' में नियुक्ति के पश्चात की गई पांच वर्ष की सेवा का अनुभव, जिसमें विधि संबंधी कार्यों से निपटने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो,

और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री हो; और

(ii) जिनके पास विधि संबंधी कार्यों से निपटने का न्यूनतम छह वर्ष का अनुभव हो।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

पुनर्नियोजन: 1. सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों पर भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है, और जो प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित आवश्यक अनुभव एवं योग्यताएं रखते हों तथा समतुल्य पद पर रहे हों ।

2. ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से कार्यमुक्त होने वाले हैं; उसके पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकेगा;

टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

[फा. सं. C-17/05/2025/Pers-Confd/BSF]

म. मृणाल, अवर सचिव

टिप्पण.– मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 20 (अ), तारीख 11 जनवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2026

G.S.R. 747(E).— In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force, Chief Law Officer, Additional Chief Law Officer and Law Officer Recruitment and Conditions of Service Rules, 2023, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Chief Law Officer, Additional Chief Law Officer and Law Officer Recruitment and Conditions of Service (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Chief Law Officer, Additional Chief Law Officer and Law Officer Recruitment and Conditions of Service Rules, 2023 in the Schedule, -

(a) against serial numbers 1, 2, 3, and 4 relating to the posts of Chief Law Officer/Inspector General, Additional Chief Law Officer/Deputy Inspector General and Law Officer Grade-I/Commandant and Law Officer Grade-II/Deputy Commandant, respectively, in the heading of Column (10), for the word "post", the word "vacancies" shall be substituted;

(b) against serial number 3 relating to the post of Law Officer Grade-I/ Commandant, in column (10), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"By promotion failing which by deputation/absorption.

For ex-servicemen: Re-employment".

(c) against serial number 4 relating to the post of Law Officer Grade-II/Deputy Commandant, -

(i) in column (10), for the entry, the following entry shall be substituted; namely: -

"By deputation or absorption or re-employment failing which by direct recruitments".

(ii) in column (11), for the entry "Not applicable" the following entries shall be substituted, namely: -

By deputation/absorption:

(i) (a) any Officer serving in the Border Security Force having Bachelor Degree in Law from a recognised University or Institute;

(b) five years' experience rendered after appointment thereto in Group-'A' service in the Border Security Force with minimum three years' experience in dealing with law; or

(ii) Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration:

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in the Level- 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix, and

(b) possessing the following qualifications and experience:

(i) Bachelor Degree in Law from a recognised University or Institute; and

(ii) possessing minimum six years' experience in dealing with law.

For ex-Servicemen:

Re-employment: 1. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for deputation and held equivalent post shall also be considered.

2. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re- employment;

Note 1: The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

[F.No. C-17/05/2025/Pers-Confd/BSF]

M. MRINAL, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 20 (E), dated the 11th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA